राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक- प09(25)राज./6/2004/14 जयपुर,दिनांक:8.02.2006

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों की राजस्व भूमियों की शहरी स्थानीय निकायों को शहरों के विकास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकता होती है, इस कारण यह आवश्यक है कि शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों में राजकीय भूमियों का दुरूपयोग रोका जावे। शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों में पूर्व के वर्षो में जो वेस्ट-लैण्ड का आवंटन निश्चित् अवधि के लिए किया गया था, उसमें आवंटन में वर्णित अवधि के पश्चात् पट्टे की अवधि नही बढायी जावे, एवम् भूमि कब्जा राज ली जाकर रेकार्ड से आवंटी का अंकन हटाया जावे व जिन मामलों में पट्टे की अवधि समाप्त नही हुयी है, परन्तु वेस्ट-लेण्ड के आवंटी ने नियमों के शर्तो का पालन नही किया हो, तो उनका वेस्ट-लेण्ड आवंटन को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त करवाकर भूमि कब्जा राज ली जाये और राजस्व रिकार्ड से आवंटी का अंकन हटाया जावे।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 के अंतर्गत वेस्ट-लेण्ड आवंटन हेतु बनाये गये नियम :- (1) राजस्थान भू-राजस्व(निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन)नियम,1986 व (2) राजस्थान भू-राजस्व(कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम,1996 के अंतर्गत जो वेस्ट-लेण्ड लीज की शर्तो पर आवंटित की गयी थी। यदि वेस्ट-लेण्ड के किसी आवंटी द्वारा अनाधिकृत रूप से खातेदारी प्राप्त कर ली गयी है या उक्त भूमि अवाप्ति होने पर उसका मुआवजा ले लिया गया है या आवंटी द्वारा अपने नाम संपरिवर्तन करा लिया गया है तो यह सभी आवंटन गैर कानूनी व शर्तो के विरूद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार देने के आदेश/संपरिवर्तन के आदेश को नियमानुसार निरस्त किया जाय व भूमि वापस राजस्व सिवाय चक दर्ज की जाय व अवैध प्राप्त किये गये मुआवजे की वसूली मय ब्याज की जाय।

राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सूअर पालन हेतु आवंटन)नियम,1958 के अंतर्गत पोल्ट्री, सुअर पालन तथा डेयरी फार्मो के जिन प्रकरणों में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और आगे लीज अवधि का विस्तार नही करवाया गया है या विभिन्न कारणों से लीज अवधि का विस्तार किया जाना उचित नहीं माना गया तो ऐसे प्रकरणों में भूमि तुरन्त कब्जा राज ली जाकर राजस्व रिकार्ड में लीजधारी का अंकन हटाया जावे। यदि लीजधारी ने लीज अवधि के दौरान लीज आवंटन की शर्तो की पालना नही की, तो उनकी लीज सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर भूमि कब्जा राज ली जावे और राजस्व रिकार्ड में लीजधारी का अंकन समाप्त किया जावे।यदि लीज अवधि के दौरान किसी आवंटी ने, लीज पर आवंटित भूमि की खातेदारी/संपरिवर्तन करा लिया हो, अथवा भूमि की अवाप्ति पर मुआवजा प्राप्त कर लिया हो तो ऐसे खातेदारी/संपरिवर्तन/मुआवजे के आदेशों को नियमानुसार निरस्त किया जावे व भूमि वापिस राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज की जावे एवं अवैधानिक तौर पर प्राप्त किये गये मुआवजे की वसूली मय ब्याज की जावे।

आज्ञा से,
8.2.2006
शासन उपसचिव,राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव,मा0मुख्यमंत्री महोदया/विशिष्ट सहायक,मा0राजस्व मंत्री जी.
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव,राज0,जयपुर.
3. नियन्धक,राजस्व मण्डल,राज0,अजमेर/अति0 नियन्धक,राजस्व मण्डल,अजमेर.
4. राविरा,राजस्व मण्डल,अजमेर/समस्त उपसचिव,राजस्व विभाग/रक्षित पत्रावली।

8.2.2006
शासन उपसचिव,राजस्व